

(3)

समयबद्ध / अति-आवश्यक

संख्या: शिक्षा-एच(9)3-4/2018-(होस्टलज)
उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश।

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(उच्चतर),
हिमाचल प्रदेश, शिमला-1

सेवा में,

1. समस्त प्राचार्य,
राजकीय डिग्री कॉलेज/संस्कृत कॉलेज,
2. उप शिक्षा निदेशक(उच्चतर),
विलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा रिथ्ट धर्मशाला, काला,
कुल्लू किन्नौर रिथ्ट रि.पीओ, लाठी, शिमला, शिरमौर, सोलन
उन्ना, हिमाचल प्रदेश।

दिनांक शिमला-171001

जुलाई, 2018

विषय:-

Recommendation of Standing Committee of OBC regarding OBC Hostels under the "Centrally Sponsored Scheme of Construction of Hostels for OBC Boys and Girls"-reg.

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव(एस.जे. और इ.), हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या: एस.जे.इ.-बी-सी(10)13/2010, दिनांक 21.06.2018 के माध्यम से आवगत करवाया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने से पूर्व अन्य पिछड़ा वर्ग की आवादी 60% कम न हो। इस सम्बन्ध में ओ०बी०सी० की छात्र-छात्राओं के लिए अपने जिले से जहा छात्रावास की नितांत आवश्यकता हो का प्रस्ताव निम्न शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त तैयार करें।

- जिला में अन्य पिछड़ा वर्ग की आवादी 60% कम न हो। शिक्षण संस्थान का नाम जहां अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के नामकनानुसार उपरोक्त छात्रावास की नितांत आवश्यकता है; साथ ही यह भी आश्वस्त करे कि उक्त छात्रावास में छात्र-छात्राएं उपरोक्त सुविधा से लाभन्वित हों।
- क्या उपरोक्त छात्रावास के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध है और भूमि विवाद रहित न हो।
- उक्त भूमि की नवीनतम, जमावन्दी तथा ततीमा की प्रति के साथ औचित्य सहित प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र-। य।। पर तैयार करें।

उपर्युक्त के दृष्टिगत छात्रावास प्रस्ताव इस निदेशालय को पत्र प्राप्ति के एक रास्ताह के गीतर उपलब्ध करवाएं ताकि साम्पूर्ण प्रस्ताव समेकित रूप में विशेष सचिव(एस.जे. और इ.), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार से की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा सके। अतः मामले में प्राथमिकता दें।

संयुक्त शिक्षा निदेशक(कॉ.)
हिमाचल प्रदेश।

dhe-sml-hp@gov.in, Phone No.0177- 2656621
सितम्बर, 2018

पृष्ठांकन सम संख्यक दिनांक शिमला-171001

प्रतिलिपि:-

- 1) प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता, हिंप्र० सरकार, शिमला-२ को उपरोक्त पत्र के सन्दर्भ में।
2) तकनीकि अधिकारी(कम्प्यूटर), उच्चतर शिक्षा निदेशालय को इस कथन के साथ प्रेषित हैं कि उपरोक्त योजना का प्रकाशन उच्चतर शिक्षा विभाग की वैबसाईट पर प्रकाशित कर कृतार्थ करें।

शिक्षा निदेशालय उच्चतर एच०

संयुक्त शिक्षा निदेशक(कॉ.)
हिमाचल प्रदेश।

19 SEP 2018